500 पदों को केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने के लिए एक विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है परन्तु अनुसूचित जातियों के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है जबकि सरकार के आदेश के अनुसार पदों के लिए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त पदों को भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आमंत्रित करने का विचार रखती है ताकि कोई भी आरक्षित पद रिक्त न रहे ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक आमंत्रित किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) दिल्ली में कावस्टेबल के पद के लिए अनुसूचित जाति की रिक्तियों का कोई बकाया नहीं है, इसलिए केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से ही आवेदन मांगे गए हैं, जिससे कि उस श्रेणी की रिक्तियों का बकाया, जो कि लगभग 500 हैं, पूरा किया जा सके ।

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें

1901. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त को गत 3 वर्षों के दौरान पद का दुरुपयोग करने, रिश्वत लेने आदि के संबंध में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इस प्रकार प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित शिकायतों को निचले स्तर पर दबाया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिकायतों के संबंध में तथ्यों का पता लगाने तथा इस मामलों में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से न करवाकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1 जनवरी, 1986 से 25 जुलाई, 1989 के दौरान दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा को दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के खिलाफ 1,01,833 शिकायतें प्राप्त हुई ।

(ख) शिकायतें मुख्यत: पुलिस की ज्यादतियों, शक्ति का दुरुपयोग, निष्क्रियता तथा भ्रष्टाचार के बारे में थीं । विभाग ने निम्न प्रकार से कार्रवाई की :

1. आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलों/इकाईयों को भेजी गई शिकायतों की संख्या	82088
2. उन शिकायतों की संख्या जिन पर जिलों/इकाईयों से रिपोर्ट भेजने को कहा गया ।	17859
3. उन शिकायतों की संख्या जिन पर सतर्कता जांच की गई ।	1886

290 मामलों में आरोपों को सही पाया गया । इन मामलों पर अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की गई ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) शिकायतों पर सतर्कता विभाग द्वारा पर्याप्त रूप में जांच की गई है ।